



कार्यालय कलेक्टर, (डीएमएफ) जिला-कोण्डागांव (छ0ग0)

Phone No.07786-242090 Email-miningkondagaon@gov.in

// विज्ञापन //

क्रमांक/2877/DMFT/भर्ती/2023

कोण्डागांव, दिनांक 20/04/2023

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 7-34/2016/XII रायपुर दिनांक 23.03.2021 द्वारा स्वीकृत पद संरचना अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, 2015 के नियम 26 के उपनियम (4) के तहत जिला कोण्डागांव खनिज संस्थान न्यास हेतु स्वीकृत पदों की भर्ती हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही कलेक्टर, डी.एम.एफ. जिला कोण्डागांव (छ0ग0) पिन कोड 494226 के नाम से प्रेषित किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 09/05/2023 शाम 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञापित पद का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	पद का नाम	कुल पद	पद का स्वरूप	वेतनमान	वर्गवार	आयु		शैक्षणिक योग्यता
						न्यूनतम	अधिकतम	
1.	विकास सहायक	01	संविदा	75000/- (एकमुश्त)	अनारक्षित (मुक्त-1)	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान/ विश्वविद्यालय से स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण 2. प्रबंधन में स्नाकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा।
2.	लेखापाल	01	प्रतिनियुक्ति / संविदा	5200-20200 +2400/ 18420/- (एकमुश्त)	अनारक्षित (मुक्त-1)	21 वर्ष	65 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बी.कॉम न्यूनतम 50 प्रतिशत से उत्तीर्ण 2. उपलब्ध नहीं होने पर सेवानिवृत्त लेखा एवं (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-01 जो को संविदा लिया जा सकेगा। 3. मान्यता प्राप्त संस्था से पीजीडीसीए उत्तीर्ण एवं Tally Software का पर्याप्त ज्ञान।
3.	भृत्य	01	संविदा	11360/- (एकमुश्त)	अनारक्षित (मुक्त-1)	21 वर्ष	40 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण। 2. कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए।

3.

पद क्रमांक 1, विकास सहायक—

1. चयन प्रक्रिया :- कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित।
2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए 60 अंक और साक्षात्कार 20 अंक एवं केन्द्र/राज्य/जिला स्तर के किसी परियोजना में प्रबंधन कार्य का अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी, अनुभव एवं अधिकतम 20 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 04 अंक)
3. अनुभव की अर्हता पूरी न करने की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा।
4. विकास सहायक पद हेतु छ0ग0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

पद क्रमांक 2, लेखापाल—

1. चयन प्रक्रिया :- कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित एवं शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित।
2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए 60 अंक और कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त अंक पर 100 अंको का Weightage देते हुए 30 अंक एवं शासकीय विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्यानुभव में अधिकतम 10 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 02 अंक) के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।
3. लेखापाल पद हेतु छ0ग0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदों की संख्या के 5 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची अनुसार कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
5. चयनित अभ्यर्थी के साथ 03 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
6. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाए गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होंगे।

पद क्रमांक 3, भृत्य—

1. चयन प्रक्रिया :- कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा चयनित एवं शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित।
2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
3. भृत्य पद हेतु छ0ग0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नियम एवं अन्य शर्तें :-

1. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना कारण बताये कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
2. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
3. प्रतिनियुक्ति उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी। प्रतिनियुक्ति हेतु उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर संविदा से लिया जायेगा।
4. चयनित अभ्यर्थी के साथ 03 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
5. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाए गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होंगे।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन भत्ता या अन्य राशि की पात्रता नहीं होगी।

Handwritten signature

7. उपरोक्त संविदा सेवा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
8. नियुक्ति वर्ष 01.04.2023 की स्थिति में संविदा नियुक्ति हेतु पद क्रमांक 01 हेतु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष और पद क्रमांक 02 के लिए न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष एवं पद क्रमांक 03 के लिए न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा में शासन द्वारा समय-समय पर आयु सीमा में दी गई छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।
9. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
10. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को 5/- रुपये का डाक टिकट लगा 02 खाली लिफाफा (10''X4'') अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
11. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को जाति के समर्थन में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु पांचवी, आठवीं, हाईस्कूल प्रमाण पत्र/अंकसूची की प्रमाणित (स्वयं सत्यापित) छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा व पूर्व संस्था का नियुक्ति पत्र, वेतन (Pay Slip) सहित प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
14. उम्मीदवारों के द्वारा लिफाफों में आवेदित पद का नाम, श्रेणी स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा।
15. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। प्रत्येक आवेदक को चाहिए की विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
16. आवेदन के साथ शैक्षणिक अर्हता अनुसार समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।
17. प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में बदलाव, घटाया-बढ़ाया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है।
18. शासन के भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है, तो इस विज्ञप्ति में लागू होगा।
19. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेंगे।
20. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
21. आवेदन पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर अथवा स्वप्रमाणित पासपोर्ट फोटो नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा। इस संबंध में कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।
22. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चतर योग्यता के आधार पर बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
23. संविदा नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष के लिए होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा। छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति के नियम/प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति किया जावेगा।
24. आवेदन पत्र की उपलब्धता :- आवेदन पत्र का प्रारूप कोण्डागांव जिले के वेबसाइट www.kondagaon.gov.in पर देखा जा सकता है।

टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपने अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।

20/04/2021

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
पदेन सदस्य-सचिव (प्रबंधकारिणी समिति)
जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला कोण्डागांव

आवेदन पत्र का प्रारूप
प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें

पद क्रमांक	:-
आवेदित पद का नाम	:-
वर्ग (जाति)	:-
लिंग	:-

प्रति,

कलेक्टर
जिला खनिज संस्थान न्यास
निधि कोण्डागांव

नवीनतम
पासपोर्ट
फोटो स्वयं
द्वारा प्रमाणित

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. अ. जन्मतिथि (अंको में) :
4. ब. शब्दों में :
5. दिनांक 01.04.2023 : वर्ष :-..... माह:-..... दिन:-.....
6. जन्म स्थान : ग्राम/नगर.....तहसील.....
जिला
7. अ. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :
-पिन.....
- ब. स्थायी पता :
-पिन.....
8. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है ? :
- (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल
निवास प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें)
9. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. राज्य :
- के लिये घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति
/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ?
हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा
स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
10. क्या आवेदक विकलांग है ? (हां/नहीं) :
- (यदि हां तो विकलांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड
का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
11. विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत :
12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है ? :
- हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा
जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति
संलग्न करें)
13. क्या आवेदक विवाहित है? हां/नहीं :

14. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :

15. जीवित बच्चों की संख्या एवं जन्मतिथि :

शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता

क्रमांक	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत है? :

हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण :

यदि हो तो, अनुभव का विवरण :

17. क्या आवेदक/आवेदिका के विरुद्ध कोई :

दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 7. |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम.....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम.....